"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2009—भाद्र 27, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 5778/1986/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री सुदर्शन महलवार को दुर्ग जिला के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 9342/डी-3039/21-ब/छ. ग./2008 दिनांक 30-09-08 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये अदायगियां-006-अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 5784/1987/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बुद्धदेव सिंह, अधिवक्ता, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 5786/1987/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. के. मिश्रा, अधिवक्ता, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव को नियमित न्यायालय, राजनांदगांव में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 5791/1990/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ए. के. महावर, अधिवक्ता, धमतरी, जिला-धमतरी को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला धमतरी के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2009

क्रमांक 5810/1988/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार साहू, अधिवक्ता, महासमुंद, जिला-महासमुंद को नियमित न्यायालय, महासमुंद में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2009

क्रमांक 5814/1988/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भूपेन्द्र राठौड़, अधिवक्ता, महासमुंद, जिला-महासमुंद को नियमित न्यायालय, महासमुंद में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक 5989/2036/21-ब/2009.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री रेव्ह बी. स्वामी नादलू को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने, और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5989/2036/21-B/2009.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Shri Rev. B. Swami Nadlu Durg District State of Chhattisgarh :—

1. To Solemnize Marriage; and

2. To grant Certificate of Marriages solemnised between the Indian Christians.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक 6119/2074/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता, कांकेर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कांकेर जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक 6129/2071/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री यशवंत कौशिक, अधिवक्ता, धमतरी, जिला-धमतरी को आदेश जारी होने के दिनांक से पुन: तीन वर्ष की कालावधि हेतु धमतरी, जिला-धमतरी के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक 6135/2003/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पंचानन गुप्ता, अधिवक्ता, रायगढ़ जिला-रायगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि हेतु जिला रायगढ़ के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक 6139/2003/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शिशिर वर्मा, अधिवक्ता, रायगढ़, को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए रायगढ़ मुख्यालय के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक 6143/2073/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा मोह. रियाजुद्दीन कुरैशी, अधिवक्ता, बालोद को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए बालोद, जिला दुर्ग हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., कोरबा के बायलर क्र.-एम.पी./3825 को दिनांक 22-08-2009 से 31-10-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 8-72/35/पचिप/2009/666.—छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 भाग-2, नियम-7 (क) एवं (ख) के अनुवृत्ति में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नानुसार निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करता है :—

1.	डॉ. एस. के. पाण्डेय, संयुक्त संचालक, प. चि. से.	रिटर्निंग आफिसर
2.	श्री तपेश गुप्ता, उप सचिव, संस्कृति विभाग	सहायक रिटर्निंग आफिसर
3.	श्री एम. एम. ताम्रकार, अवर सचिव, पशुपालन विभाग	—,,—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक/एफ-1-22/2008/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन दिनांक 01-11-2009 से संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर (सरगुजा) का कार्यालय खोला जा रहा है. संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण सरगुजा राजस्व मंडल होगा.

No./F-1-22/2008/ESTT./IV.—Government of Chhattisgarh, Finance Department is pleased to open the Office of Divisional Joint Director, Treasuries, Accounts & Pension, Ambikapur (Surguja) w.e.f. 01-11-2009 under the Directorate of Treasuries, Accounts & Pension, Chhattisgarh. This Office of Divisional Joint Director, shall have jurisdiction over Surguja Revenue Division.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ-10-3/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 23 में सम्मिलित "गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बेघेले)" के पश्चात् "गड़ेरी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 26/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बोरियाकला प. ह. नं. 117	1317	0.085	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल, संभाग-4, रायपुर.	दीनदयाल आवास योजना पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			1318/1	0.081		
			1318/2	0.089		
			1318/4	0.146		
			1324	0.142		
			1325	0.506		
			1381/1, 1382/1-3, 1383/1	0.193		
			1382/2, 1383/2	0.064		
			1382/6, 1383/5	0.064		
			1382/5, 1383/4	0.129		
			1365	0.021		
		योग	11	1.520		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 16 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कुलीपोटा प.ह.नं. 42	1.146	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग-एक 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 17 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	दर्राभांठा प.ह.नं. 41	2.175	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग-एक 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 18 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	लछनपुर प.ह.नं. 41	5.389	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग-एक 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2009

अ. भू.-अ.प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सॉकरा प. ह. नं. 1	0.13	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	धुमका डायवर्सन वियर नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	मौहाडीह	1.27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, कोरबा.	सोहागपुर खरवानी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 09 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1015	0.05
	1016/1	0.10
	1016/2	0.15
	1018	0.64
	1021/3	0.40
	1021/4	0.15
	1021/5	0.40
	1022	0.28
	1023	0.43
	1024	0.46
	1025	0.48
	1026/1	0.15
	1026/2	0.08
	1026/3	0.10
	1036	0.10
योग	15	3.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दू-भांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक 07 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूभाठा, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1220	0.20
1219/2	0.22
1226/2	0.12
1228/2	0.36
1215	0.25
1223/1	0.09
1223/2	0.15
1187	0.13
1188	0.28
1217	0.69
1218	0.32
1216	0.73
1214	0.42
1212/2	1.34
1212/1	0.84
1212/3	0.32
1184/2	0.25
1185	0.25
1184/1	0.25
1225	0.10
1219/1	0.50
1221	0.80

	(1)	(2)
	1222	0.20
योग	23	8.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2009

क्रमांक/1441/7 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-भालूकोन्हा, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	893	0.31
योग		0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2009

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र.अ/04/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-पलारी
(ग) नगर/ग्राम-कानाकोट, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.277 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
328/5	0.057
372	0.08
437	0.008
328/1 ख	0.06
369	0.101
434	0.141
435	0.202
447/1, 447/2, 448	0.081
433	0.004
472/4	0.012
470/1	0.485
470/2	0.08
38	0.032
454	0.016
368/4	0.004
467	0.405
469/1	0.895
471	0.606
12/3, 578/1	0.065
12/4, 33/1, 33/3, 33/4, 34/1, 35/1, 577/2	0.686

(1)	(2)
16, 17, 18, 19, 33/2, 578/2, 579, 580/1, 580/2, 588	1.610
442/1	0.004
469/2	0.012
436	0.101
367/2	0.016
370/1	0.08
449	0.315
377/3	0.101
379, 381/2	0.121
376/1	0.101
451	0.141
472/3	0.141
468/2	0.182
36	0.254
12/7, 33/5, 33/6, 33/7, 34/2, 35/2, 577/3	0.89
452	0.012
328/3, 329/4, 341, 343, 373, 438, 439, 440	0.405
328/2	0.140
366/1	0.013
368/2	0.117
380/2 क, 380/2 ख	0.110
450	0.069
362/1, 363/1, 364/1, 365/1	0.303
378/1	0.028
371	0.202
374	0.101
446/2	0.004
468/1	0.485
योग 48	9.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/67/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-मोखापुटका, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
220/2	0.07
440	0.05
441/2	0.02
441/1	0.03
442	0.01
480	0.20
482	0.11
846/1	0.03
487	0.06
499	0.05
494	0.01
498	0.04
503	0.01
506	0.05
517	0.02
507	0.01
516	0.01
504	0.01
515	0.03

	(1)	(2)
	382	0.01
	383	0.03
	513	0.04
	512	0.01
	386	0.03
	384	0.05
	385	0.05
	414	0.849
	362	0.040
	361/3	0.072
	412	0.101
	410/4	0.345
	408/1	0.089
	408/2	0.020
	411	0.231
	774/2	0.345
	407/3	0.049
	831	0.093
	410/5	0.024
योग	38	3.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोखापुटका जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/71/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-राफेल, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	813	0.08
	813	0.13
योग	2	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/73/भू-अर्जन/अ.वि.अ./7/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-गम्हारडीह, प. ह. नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	121	0.09
	117	0.05
योग	2	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदलीमाल जलाशय योजना के उलट/शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/75/भू-अर्जन/अ.वि.अ./6/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कालीदरहा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	25, 28	0.29
योग	2	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कालीदरहा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायगाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/77/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुराबहाल, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	276	0.02
	277	0.02
	280	0.01
	281	0.01
	199	0.06
	282	0.04
	200	0.06
	198/1	0.01
	395	0.18
	157	0.02
	188	0.02
	193	0.05
	192/1	0.10
	187	0.10
	154	0.06
	395	0.10
	155	0.09
	117	0.09
	152	0.02
योग	19	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/79/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-आंवला चक्का, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.97 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1460	0.23
	1420	0.94
	1476/1	1.21
	1131	0.47
	1146	0.28
	1139/1	0.12
	1357/1	0.31
	1366/2	0.23
	1502	0.56
	1145	0.12
	1166/1	0.11
	1588	0.27
	1671	0.10
	1672	0.02
	1673	0.02
	1674	0.24
	1587	0.10
	1469	0.49
	1474	0.15
योग	19	5.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/81/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8/अ/82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-डोंगरीपाली, प. ह. नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/3	0.06
	4	0.02
	5	0.03
	6	0.01
	7	0.05
	8	0.07
	78	0.02
	79	0.02
योग	08	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/83/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-छिर्रापाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	135	0.31
	167	0.14
	168	0.15
	169	0.04
	170	0.04
	228	0.15
	133	0.39
	152/1	0.06
	153	0.15
	156	0.43
	157	0.91
	108	0.44
	109	0.07
	115/1	0.10
योग	14	3.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक/85/भू-अर्जन/अ.वि.अ./3/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-साजापाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	90/1	0.20
	94/1	0.10
योग	2	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र./21/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-सम्बलपुर, प. ह. नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5/13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1304/16	0.06
1335/2	0.10
1304/8	0.05
804/4	0.12
804/10	0.05
1184/2	0.02
1184/8	0.04
1304/10	0.08
1269/3	0.06
804/8	0.06
1184/5	0.10
1269/5	0.16
1304/1	0.06
804/5	0.06
1184/4	0.10
804/9	0.07
1184/11	0.08
1304/14	0.20
1304/4	0.08
708/1	0.07
1304/2	0.07
1164/3	0.08
1304/6	0.13
804/1	0.12
1184/6	0.16
1269/1	0.05
1077/2	0.35
1077/4	0.18
804/2	0.20
804/3	0.27
1304/18	0.08
804/7	0.01
1164/1	0.10
1184/1	0.10
1184/10	0.03
1304/11	0.08
1269/2	0.06
1304/3	0.12
1304/15	0.24
1304/13	0.06
1184/9	0.05
1304/7	0.05
1304/9	0.06
1184/7	0.03
708/2	0.45
1304/17	0.10
1164/4	0.06
1164/2	0.02
1184/3	0.20
योग 49	5.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/17/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-गुनपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.012

	(1)	(2)
	12/2	0.020
	12/1	0.020
	232/1	0.016
	232/2	0.016
	5	0.040
योग	6	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/18/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-चमिया, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.512 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	487	0.012
	488	0.012
	490	0.012
	491	0.012
	547	0.012
	623	0.012
	661	0.012
	760	0.020
	762	0.012
	763	0.012
	774	0.012
	777	0.020
	779	0.020
	790/1	0.320
	489	0.012
योग	15	0.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव पग्यिोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/19/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-छोटेआमाबाल, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.572 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/1	0.020
179	0.020

(1)	(2)
201	0.020
202	0.012
204	0.020
203	0.012
223	0.012
362	0.012
230	0.040
280	0.012
289	0.012
288/1	0.012
295	0.012
291	0.012
231/1	0.012
364	0.012
365	0.020
366	0.020
367	0.020
411	0.020
410	0.040
412	0.020
601	0.012
602	0.012
603	0.012
609	0.012
614/1	0.020
616	0.040
618	0.040
619	0.020
612/1	0.012
योग 31	0.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/21/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बस्तर
   (ख) तहसील-बस्तर
   (ग) नगर/ग्राम-घोटिया, प. ह. नं. 22
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
43	0.008
44	0.020
46	0.020
172	0.032
173	0.028
178	0.069
540	0.024
योग 7	0.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/23/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-पूर्वी टेमरा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/24/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-मुण्डागांव, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	37	0.012
	247	0.020
	39	0.012
	40	0.012
	42	0.012
	41	0.012
	196	0.012
	197	0.012
	266	0.012
	246	0.012
योग	10	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/25/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1	0.020
योग	1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/26/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े आमाबाल चमिया, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1053	0.024
1190	0.012
1281	0.004
1282	0.012
1284/1	0.012
1284/2	0.008
1286/1	0.012
1287	0.016
1452	0.008
1453	0.008
1511	0.012
1512	0.004
1513	0.004
1514	0.008
1515	0.008
1516/1	0.008
1516/2	0.004
1517	0.012
1525	0.012
1522	0.004
1523	0.004
1524	0.024
1527	0.008
1535	0.012
1583	0.040
1590	0.004
1593	0.004
1591	0.008
1598/1	0.004
1599	0.004
1601	0.004
1602/3	0.008
1604	0.004
1607	0.004
1608	0.004
1609	0.004
1610	0.008
1615	0.008
1622/1	0.008
1622/2	0.004
1714	0.008
1715	0.004
1716	0.004
1719	0.008
1720	0.008
1721	0.008
1529	0.008
1530	0.008
1613	0.008
1532	0.012
1533	0.008
1723	0.016
1833/1	0.004
1834/1	0.008

	(1)	(2)
	1834/2	0.008
योग	55	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/28/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11	0.012
	15	0.012
	18	0.012
	17	0.012
	75	0.020
	77	0.012
	80	0.012
	79	0.012
	81	0.020
	198	0.020
	204	0.012
	190	0.012
	205	0.012
योग	13	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/29/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-सुधापाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1219	0.040
	1234	0.008
	1246	0.032
योग	3	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/30/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-देवड़ा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	381/4	0.041
	381/5	0.045
	318/2	0.012
	313/1	0.081
	180/2	0.008
	180/5	0.032
	180/8	0.008
	112/2	0.008
	180/6, 180/7	0.061
	235/1	0.004
	237/2	0.004
	232/3	0.004
	324/6	0.004
	341/2	0.004
	228	0.004
	242/1	0.004
	242/2	0.004
	224/3	0.004
	217	0.004
	243	0.004
	255	0.012
	257	0.016
	258, 259	0.008
योग	23	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-देवगढ़, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.453 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654	0.020
655/1	0.010
656/1	0.063

	(1)	(2)
	656/2	0.089
	656/3	0.061
	659/1	0.040
	660	0.170
योग	7	0.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- देवगढ़ से बरमुड़ा मार्ग (डिग्गी नाला) पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-पतरापाली, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	261	0.186
	266/1	0.121
	269/1	0.170
योग	3	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मौहापाली-पतरापाली मार्ग पर पांझरनाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	20	0.283
योग	1	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मौहापाली-पतरापाली मार्ग पर पांझरनाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बरकसपाली, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	161/1	0.073
	263/3	0.230
योग	2	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोलम, बरकसपाली मार्ग पर पांझरनाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	116/1	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तमनार-कसडोल, बंगुरसियां मार्ग पर केलो नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कोलम, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1	0.157
योग	1	0.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोलम, बरकसपाली मार्ग पर पांझरनाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-मिलूपारा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	144/2	0.081
	24/3	0.073
योग	2	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तमनार-लैलूंगा मार्ग पर केलो नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-सक्ता, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	101	0.069
योग	1	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तमनार-लैलूंगा मार्ग पर केलो नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम बरलिया, प. ह. नं.-15, [illegible] व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 83.651 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 13-04-07 तथा 24-08-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

ग्राम-बरलिया

प.ह.नं. 15, रा.नि.म., रायगढ़ तह.-रायगढ़, जिला-रायगढ़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.962

(1)	(2)
32	0.020
9/2	0.099
38/2	0.272
13/1	0.490
173/1	0.101
178/3	11.983
165/3	0.047
167/1	0.202
238/1	0.315
योग 10	14.496

(2) भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किए जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम चिराईपानी, प. ह. नं.-15, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 10.239 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 13-04-07 तथा 24-08-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

ग्राम-चिराईपानी
प.ह.नं. 15, रा.नि.म., रायगढ़ तह. रायगढ़, जिला-रायगढ़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
209	0.035
168	0.198
201/1	0.615
208	0.092
210	0.032
योग 5	0.972

(2) भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किए जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम भगवानपुर, प. ह. नं.-14 तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 4.921 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 09-3-2007 तथा दिनांक 14-09-2007 को कराया गया है.

तालिका में दर्शित खसरा नंबर जिसका त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है उसके स्थान पर सही खसरा नंबर पढ़े जाने वाले भूमि का विवरण :—

ग्राम-भगवानपुर

धारा 6 में त्रुटिपूर्ण प्रकाशित भूमि का विवरण		सही पढ़े जाने वाले भूमि का विवरण	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
64/4	0.356	64/3	0.356
3/3	0.299	3/8	0.299
61/4, 61/8, 61/15, 61/16 | 2	0.027	61/7, 61/8, 61/15, 61/16 | 2	0.027

उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की भूमि को संशोधित पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक/6916/ज्ये. लि.-1/2009.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव, नगर पंचायत खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 08, डॉ. अम्बेडकर वार्ड के पार्षद कु. सरिता यादव द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर पूर्व माध्यमिक शाला, टोलागांव, विकास खण्ड खैरागढ़ में नियुक्ति के कारण, दिनांक 30-07-2009 को वार्ड नं 08 अम्बेडकर वार्ड, के पार्षद पद स्वेच्छा से प्रस्तुत त्याग-पत्र स्वीकृत कर, वार्ड नं. 08 अम्बेडकर वार्ड, नगर पंचायत, खैरागढ़ का पार्षद पद रिक्त घोषित करता हूं.

रोहित यादव,
कलेक्टर.

कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2009

क्र. 49/स्था-64/छ. ग. मा. अ./09.—इस अधिकरण के आदेश क्रमांक 42/स्था-64/छ. ग. मा. अ./09, दिनांक 24-07-2009 के द्वारा श्री एन. एस. उसेन्डी, उच्च न्यायिक सेवा, रजिस्ट्रार को दिनांक 03-08-2009 से 13-08-2009 तक कुल 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उनके द्वारा दिनांक 03-08-2009 से 09-08-2009 तक कुल 7 दिनों का स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण निरस्त किया जाता है, तद्नुसार सेवापुस्तिका एवं अवकाश लेखा में प्रवृष्टि की जावे.

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

हस्ता./-
एन. एस. उसेन्डी,
रजिस्ट्रार.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2009

[छ. ग. न. पा. नि. अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 19 के अंतर्गत]

क्रमांक/शा-1/विविध/568/07/4500.—कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24-10-2007 में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा, पार्षद वार्ड क्र. 22 नगर पालिक निगम भिलाई को इस कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (अ-1) के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. शा-1/विविध/568/07/8877 दिनांक 19-12-07 जारी किया गया.

श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा, पार्षद, नगर पालिक निगम भिलाई ने दिनांक 08-01-2008 को अपना जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. डब्ल्यू. पी. नं. (सी) 5248/2007 में दिनांक 10-10-2007 को आदेश पारित कर उक्त आदेश पर आगामी सुनवाई तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के स्थगन आदेश का पालन करते हुए उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-07-07 के अनुसार किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही एवं कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12-12-08 में उल्लेखित कार्यवाही स्थगित रखी जाए. मान. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्धारित तिथि में सूचना मिलने पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर दूंगा.

प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा प्रकरण क्र. डब्ल्यू. पी. (सी.) 5248/2007 में दिनांक 22-07-08 को पारित आदेश के पालन में छ. ग. शासन जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/2001 में दिनांक 22-9-2008 को आदेश पारित कर समिति के आदेश दिनांक 23-07-2007 को पुनः यथावत् मान्य किया गया है. उक्त पारित आदेश दिनांक 23-07-07 की कंडिका 7.1 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा को "लोहार" अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र को तत्काल निरस्त किया गया तथा कंडिका 7.2 के द्वारा सचिव छ. ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर को लेख किया गया है कि कु. माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्रायव्हल डेव्हलपमेंट के प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 94 की कंडिका 1-(14 एवं 15) के अनुसार कार्यवाही की जाए.

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश दिनांक 22-07-08 के पालन में छ. ग. शासन जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति रायपुर द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22-09-08 द्वारा निर्देशित अनुसार उक्त समिति के आदेश दिनांक 23-07-2007 की कंडिका 7.2 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (अ-1) के अधीन श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा, पार्षद, नगर पालिक निगम भिलाई के संबंध में यह प्रमाणित पाया गया है कि श्री अरोरा आरक्षित प्रवर्ग के न होने के बाद भी आरक्षित प्रवर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र के आधार पर नगर पालिक निगम भिलाई में पार्षद पद पर वर्ष 2000 में निर्वाचित हुए थे. उक्त आधार पर श्री अरोरा को आरक्षित प्रवर्ग अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग का पार्षद मान्य किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा.

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-08 के पालन में श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा द्वारा गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पार्षद पद में वर्ष 2000 में निर्वाचित होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा, पार्षद, वार्ड क्र. 22, नगर पालिक निगम भिलाई को पार्षद पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है तथा श्री अरोरा को पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए नगर पालिक निगम का फिर से पार्षद होने के लिए अपात्र घोषित किया जाता है.

आदेश की तामिली आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के माध्यम से श्री अरोरा को कराई जाए.

संजय शुक्ला,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th August 2009

No. 633/A/JOTI/Inst. Trg. (FS)/ADJ 2008/09.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2008 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Judicial Officer's Training Institute, (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 07-09-2009 at 9.00 A. M. for undergoing the Institutional Training-Foundation Course (Final Stage) Scheduled to be held from 07th September, 2009 to 18th September, 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Sudhir Kumar	III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
2.	Shri Balram Prasad Verma	IV Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
3.	Shri Hemant Saraf	V Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
4.	Shri Santosh Sharma	IX Additional District & Sessions Judge, (FTC) Bilaspur.

The abovementioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (Annotated)
2. Criminal Precedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (Annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (Annotated)
7. The Court Fees Act (Annotated)
8. The Stamp Act (Annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

Bilaspur, the 28th August 2009

No. 566/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1	Shri Anestus Toppo, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Raigarh	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class I & Chief Judicial Magistrate Vice Shri Sanjay Kumar Soni.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Sanjay Kumar Soni, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dantewara	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class I & Chief Judicial Magistrate Vice Shri Anestus Toppo.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the1st September 2009

No. 143/L. G./2009/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, Judge, Family Court, Manendragarh is hereby, granted earned leave for (I) 04 days from 22-09-2009 to 25-09-2009 along with permission to leave headquarters & (II) 04 days from 12-10-2009 to 15-10-2009 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 215 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.